रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, अक्तूबर 6—अक्तूबर 12, 2013, शनिवार/आश्विन 14—आश्विन 20, 1935
No. 41] NEW DELHI, OCTOBER 6—OCTOBER 12, 2013, SATURDAY/ASVINA 14—ASVINA 20, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 243.—एतद्द्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशक के कार्यालयों में असांविधिक विभागीय कैंटीनों में हलवाई-सह-रसोइया, सहायक हलवाई-सह-रसोइया और लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, हलवाई-सह-रसोइया, सहाग्रक हलवाई-सह-रसोइया एवं लिपिक (असांविधिक विभागीय कैंटीन) भर्ती नियम, 2013 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुप्रयोग.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. हलवाई-सह-रसोइया	1* (2013) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-1, (5200—20200 रु.) तथा ग्रेड पे 2000 रु.	चयन पद	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
पदोन्नति	**पदोन्नति :** (i) पे बैण्ड-1 (5200—20200 रु.) तथा 1900 रु. के ग्रेड पे में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक हलवाई-सह-रसोइया ।

(11)

टिप्पण 1 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किए जाने की दिनांक या 1-1-2006 से पूर्व नियमित आधार पर दी गई सेवा को आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लागू किए गए तद्नुरूप ग्रेड पे/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा ।

टिप्पण 2 : जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित अर्हक अथवा योग्यता सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने इन कनिष्ठों, जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यामन है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.
(12)	(13)
भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी :— 1. अवर सचिव (प्रशा.) अथवा उप निदेशक, जनगणना कार्य, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	8* (2013) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-1, (5200—20200 रु.) तथा ग्रेड पे 1900 रु.	अचयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(10)	(11)
पदोन्नति	**पदोन्नति :** (i) पे बैण्ड-1 (5200—20200 रु.) के ग्रेड पे 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित कैन्टीन अटेन्डेंट ।

(11)	
	स्वास्थ्यकारिता बनाए रखना इत्यादि सहित कुकिंग के संदर्भ में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसायिक दक्षता संबंधी टैस्ट लिया जाएगा । **नोट 1 :** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किए जाने की दिनांक या 1-1-2006 से पूर्व नियमित आधार पर दी गई सेवा को आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लागू किए गए तदनुरूप ग्रेड पे/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा । **नोट 2 :** जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित अर्हक अथवा योग्यता सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने इन कनिष्ठों, जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं ।

(12)	(13)
भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी :— 1. अवर सचिव (प्रशा.) अथवा उप निदेशक, जनगणना कार्य, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य **निदेशक, जनगणना कार्य के संबंधित कार्यालयों के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल अधिकारी :—** 1. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य, अथवा उप निदेशक, जनगणना कार्य —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. क्लर्क	9* (2013) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे-बैंड-1, (5200—20200 रु.) तथा ग्रेड पे 1900 रु.	अचयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(10)	(11)
पदोन्नति	**पदोन्नति :** (i) पे-बैण्ड-1 (5200—20200 रु.) और ग्रेड पे 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित कैन्टीन अटेन्डेंट । सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान और प्रबंधन संस्थान अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, सम्प्रेषण कौशल और लेखाकरण पद्धति पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा । **नोट 1 :** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किए जाने की दिनांक या 1-1-2006 से पूर्व नियमित आधार पर दी गई सेवा को आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लागू किए गए तदनुरूप ग्रेड पे/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा । **नोट 2 :** जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित अर्हक अथवा योग्यता सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने इन कनिष्ठों, जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं ।

(12)	(13)
भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी :— 1. अवर सचिव (प्रशा.) अथवा उप निदेशक, जनगणना कार्य, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य **निदेशक, जनगणना कार्य के संबंधित कार्यालयों के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल अधिकारी :—** 1. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य, अथवा उप निदेशक, जनगणना कार्य —अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-51011/4/2011-प्रशा.-V]

पंकज कुमार देवरानी, अवर सचिव

4169 GI/13-2

14)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 8th October, 2013

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Halwai-cum-Cook, Assistant Halwai-cum-Cook and Clerk in the Non Statutory Departmental Canteens of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, Halwai-cum-Cook, Assistant Halwai-cum-Cook and Clerk (Non Statutory Departmental Canteen) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule appended to these rules.

3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of the said posts, their classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Halwai-cum-Cook	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20,200) and Grade pay Rs. 2000	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** (i) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in the Pay Band-1 (Rs. 5200—20200) and Grade Pay of Rs. 1900. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Note 2 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for the Office of the Registrar General, India (for considering promotion) consisting of :— (1) Under Secretary (Administration) or Deputy Director of Census Operations, Office of the Registrar General, India —Chairman (2) Assistant Director or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member (3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

4169 GI/13-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Halwai-cum-Cook	8* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) and Grade pay Rs. 1900	Non-Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** Canteen Attendant in the Pay Band-1 (Rs. 5200—20200) and Grade Pay of Rs. 1800 with atleast three years regular service. A Trade skill test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene, etc. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for the Office of the Registrar General, India (for considering promotion) consisting of :— (1) Under Secretary (Administration) or Deputy Director of Census Operations, Office of the Registrar General, India —Chairman (2) Assistant Director or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member (3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for the respective Offices of the Director of Census Operations (for considering promotion) consisting of :—

(1) Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations —Chairman

(2) Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member

(3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk	9* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) and Grade pay Rs. 1900	Non-Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** Canteen Attendant with atleast three years regular service in Pay Band-1 (Rs. 5200—20200) and Grade Pay of Rs. 1800. A two week training on Organizational Behaviour, Communication skill and Accounting Practices from the Institute of Secretariat Training and Management Institute or any other institute recognized by the Government of India or State Government shall be desirable. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for the Office of the Registrar General, India (for considering promotion) consisting of :—	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Under Secretary (Administration) or Deputy Director of Census Operations, Office of the Registrar General, India —Chairman	
(2) Assistant Director or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member	
(3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member	
Group 'C' Departmental Promotion Committee for the respective Offices of the Director of Census Operations (for considering promotion) consisting of :—	
(1) Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations —Chairman	
(2) Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member	
(3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member	

[F. No. A-51011/4/2011-Ad.-V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for the Office of the Registrar General, India (for considering promotion) consisting of :—	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Under Secretary (Administration) or Deputy Director of Census Operations, Office of the Registrar General, India —Chairman	
(2) Assistant Director or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member	
(3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member	
Group 'C' Departmental Promotion Committee for the respective Offices of the Director of Census Operations (for considering promotion) consisting of :—	
(1) Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations —Chairman	
(2) Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Member	
(3) A Group 'A' officer of any other Central Government Office —Member	

[F. No. A-51011/4/2011-Ad.-V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.